

प्रेस विज्ञप्ति**गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर हुए 08 अपराधी**

जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत गोवध, छेड़खानी, लूट, आपराधिक व आबकारी में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा 08 अपराधियों क्रमशः सिधारी, कंधरापुर, देवगाँव व मुबारकपुर से 01-01 तथा फूलपुर व सरायमीर से 02-02 अपराधियों को दिनांक- 30.09.2023 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।

जिलाबदर हुए 08 अपराधियों का विवरण निम्नवत है-

1. शिवकुमार भारती पुत्र रामलखन , निवासी हरवंशपुर, थाना सिधारी, आजमगढ़ (छेड़खानी)
2. गुलशन यादव पुत्र जनार्दन यादव, निवासी कंधरापुर, थाना कंधरापुर, आजमगढ़ (लूट)
3. श्याम अवध चौहान पुत्र शिवचन्द्र चौहान, निवासी पाही, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ (आबकारी)
4. राहुल चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान , निवासी चकिया भगवानपुर, थाना देवगाँव, आजमगढ़ (आपराधिक)
5. हाफिज पुत्र वकील, निवासी मुड़ियार, थाना फूलपुर, आजमगढ़ (आबकारी)
6. ओमप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र झुल्लर विश्वकर्मा, निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, आजमगढ़ (आबकारी)
7. नफीस अहमद पुत्र मुख्तार, निवासी नई बाजार चककाजी, थाना सरायमीर, आजमगढ़ (आपराधिक)
8. मो0 फैसल पुत्र मो0 परवेज, निवासी अषाढ़ा, थाना सरायमीर, आजमगढ़ (गोवध)

प्रेस-विज्ञप्ति**गोवध व मादक पदार्थ तस्करी से सम्बन्धित 04 गैंग पंजीकृत**

दिनांक- 01.11.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा गोवध, पशु तस्करी, मादक पदार्थ तस्करी व आपराधिक से सम्बन्धित 04 गैंग पंजीकरण कराया गया। जिसमें पशु तस्करी से 06, आपराधिक से 03, गोवध से 02 व शराब तस्करी संलिप्त 02 अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उपरोक्त गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है।

➡पंजीकृत गैंग का विवरण निम्नवत है-

➡ **1- थाना कंधरापुर:** अभियुक्त रामचेत निषाद पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी भोर्ला मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए पशु तस्करी करने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (पशु तस्कर गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 207” होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

1. मो0 आरिफ पुत्र मो0 युनुस निवासी सारैन थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।
2. शेरू उर्फ अहमद पुत्र सोहराब निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3. इन्दल निषाद पुत्र रामचेत निषाद निवासी भोर्ला मकबूलपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।
4. विरेन्द्र निषाद पुत्र रामचेत निषाद निवासी भोर्ला मकबूलपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
5. गीता देवी पत्नी रामचेत निषाद निवासी भोर्ला मकबूलपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

➡ **2- देवगाँव:** अभियुक्त अभिषेक सिंह उर्फ शिवांश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी लहुआकला थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए आपराधिक जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (आपराधिक गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी-208” होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

- 1- रोशन यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी रसूलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
- 2- विपिन यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव निवासी जमुई थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

➡ **3- निजामाबाद:** अभियुक्त बब्लू उर्फ मामुन पुत्र झिन्नू उर्फ दीन निवासी शहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए गोवध जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (गोवध गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी-209” होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

- 1- अब्दुल अजीज उर्फ लंगड़ पुत्र मुमताज निवासी शहरिया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

➡ **4- कंधरापुर:** अभियुक्त अंगद यादव उर्फ लाला यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव उर्फ मेथी निवासी आखापुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए शराब तस्करी जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (शराब तस्कर गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी-210” होगा।

जिसके सदस्य निम्नवत हैं-

- 1- राकेश यादव पुत्र हरिलाल यादव निवासी औरंगाबाद थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 01.10.2023 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 385/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम (1) नजरे आलम पुत्र जफरे आलम निवासी मधनापार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ (2) शबीना पत्नी सोयब निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसमें वांछित अभियुक्त शबीना उपरोक्त को आज दिनांक 02.11.2023 को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 02.11.2023 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता शबीना पत्नी सोयब निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को अभियुक्ता के अपने पूर्व निवास स्थान कासिमगंज अटकहिया से समय करीब 13.20 बजे हमराही कर्म0गण व महिला आरक्षी के मदद हिरासत पुलिस में लिया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 385/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्ता

1. शबीना पत्नी सोयब निवासी हिरनई गुल्लीगढ़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 385/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 222/23 धारा 454/380 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 अतुल सिंह यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 आफताब आलम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
4. म0का0 रंजू यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना बिलरियागंज

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्तों के घर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.08.2023 को थाना जीयनपुर पर 526/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 दि0घ0- समय व घटना स्थल भिन्न -2 दिनांक सूचना 02.08.2023 समय 17.40 बजे राज्य द्वारा प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1.विवेक चौहान पुत्र चन्द्रभान चौहान महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. सोनू चौहान पुत्र विजय चौहान महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. पंकज यादव पुत्र जयनाथ यादव निवासी बसारतपुर (मडैया) थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 4. मनीष यादव पुत्र गिरजाशंकर यादव उर्फ दरोगा यादव निवासी बसारतपुर (मडैया) थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 5. बिजय चौहान पुत्र स्व0 दशरथ चौहान निवासी महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष बसंत लाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

आज दिनांक 02.11.2023 को थानाध्यक्ष बसंत लाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वांछित अभियुक्त 1. विवेक चौहान पुत्र चन्द्रभान चौहान महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. सोनू चौहान पुत्र विजय चौहान महावतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मा0 न्यायालय से आदेशिका अन्तर्गत धारा 82 द0प्र0सं0 प्राप्त कर नियमानुसार मुनादी करते हुए अभियुक्तगण विवेक चौहान व सोनू चौहान उपरोक्त के घरों पर व सुलभ प्रदर्शित स्थानों पर चस्पा करते हुए समक्ष गवाहान नियमानुसार तामिला करवाया गया ।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष बसंत लाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. का0 सतीभान सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3. का0 अमन सिंह यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 रविशंकर उपाध्याय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।